फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जितेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 06/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.02.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/80–81 दिनांक 24.01.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2019 व अनुभाग को 29.11.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के संबंध में सूचना चाही गई किन्तु जो अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के पद पर रहे उनका नाम व वर्ष आदि की विशिष्टयॉ अंकित नही करने से प्रार्थी को अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के राजसमन्द में पदस्थापन की दिनांक से लेकर सूचना देने की दिनांक तक बिन्दु सं0 01 व 02 की प्रश्नगत सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना हैं जिसे कार्यालय के समस्त अनुभागों में ढूंढना और ढूंढ कर देने में कार्यालय के संसाधनो का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सूरक्षा एवं परिक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चाही गई सूचनाओं तक पहूँच बनाया जाना संभव नही, सूचना को खोजना, प्रश्नों के उत्तर देना इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय हैं) किया गया हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट को सूचना से वंचित करना भी समुचित नही होगा। आवेदन पत्र के संबंध में प्रार्थी को अपने हितो की/ लोकहित की वह सूचना जिसकी प्रार्थी को आवश्यकता हो उनका पूर्ण विवरण अंकित कर (शिकायत/प्रार्थना पत्र का स्पष्ट विवरण/प्रार्थना पत्र की प्रति) उसी अनुरूप आवेदन पत्र में विशिष्टयों का उल्लेख कर आवेदन करे ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 कि धारा 2(एफ) के प्रावधानुसार कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना तक पहूँच बनाई जाकर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा सकें। इस आशय का पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी को इस कार्यालय/अनुभाग के द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/912 दिनांक 18.12.2019 से प्रार्थी को लिखा गया। जिसकी ताईद प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 04 में अंकित किया गया हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के बिन्दु संख्या 05 व 06 से जो इस्तदुआ की गई है वह	कार्यालय ... राजसमन्द (राज.)

सारहिन हैं। चुंकि प्रार्थी को यथासमय वस्तुस्थिति से जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/912 दिनांक 18.12.2019 से सूचित कराया गया तथा प्रार्थी सूचना से वंचित नही रहे इस संबंध में प्रार्थी से स्पष्ट विशिष्टयॉ चाही गई किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने इस कार्यालय के पत्र की पालना में कोई पत्र प्रस्तुत/प्रेषित नही किया गया सीधे ही प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो सारहिन होकर खारिज योग्य हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी को पूर्व में जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/912 दिनांक 18.12.2019 से सूचित करा दिया गया हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी ने इसकी पालना नही की हैं। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के नाम/पदनाम से प्राप्त हुई समस्त शिकायते एवं उस पर की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रावली की प्रतियॉ चाही गई हैं। उक्त सूचनाएॅ सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार अदेय हैं। उक्त सूचना अपीलार्थी के हितो की व लोकहित की नही हैं तथा सूचना के संबंध में चाही गई विशिष्टयॉ भी अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध नही कराई गई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण आवेदन एवं चाही गई सूचना अदेय होने से दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त विवेचनानुसारसारहिन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।
अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)